बि0क0च0आ0–प्र0–03 / परीक्षा–(विज्ञान एवं प्रावैधिकी–आपत्ति)–123 / 2025
बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0–भेटनरी कॉलेज, पटना–14

आवश्यक सूचना

ज्ञापांक–275/अ०   पटना, दिनांक–14.01.2026

आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक–55 / आ0, दिनांक–02.01.2026 द्वारा विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित वि0सं0–02 / 2022 अंतर्गत कार्यालय परिचारी की मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थियों से दिनांक–06.01.2026 से 20.01.2026 तक ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर समर्पित किये जाने की सूचना अभ्यर्थियों को दी गयी है।

अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्रों यथा– क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संबंधी प्रमाण–पत्र की निर्गत तिथि के संबंध में पृच्छा की जा रही है।

अभ्यर्थियों को संसूचित किया जाता है कि वे उक्त पद हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित वि0सं0–02 / 2022 में निर्धारित तिथि तक का प्रमाण–पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

तांती / ततवा जाति के अभ्यर्थी अपना आरक्षण कोटि अपडेट करने के क्रम में आवेदन की अंतिम तिथि 20.01.2026 के पूर्व का अत्यंत पिछड़ा वर्ग संबंधी क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहेंगे।

अनु0:–वि0सं0–02 / 2022 की छायाप्रति।

14-1-26
सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

विज्ञापन सं०–02/2022

ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि – 23/09/2022

ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि – 31/10/2022

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों में **कार्यालय परिचारी** के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन (Online) आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार उपलब्ध रिक्त पद निम्नरूपेण हैं:–

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र०</th><th rowspan="2">पद का नाम</th><th rowspan="2">वेतनमान</th><th rowspan="2">न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता</th><th rowspan="2">अनारक्षित</th><th colspan="6">आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या</th><th rowspan="2">कुल पदों की सं०</th><th rowspan="2">स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हेतु आरक्षित पदों की सं०</th><th rowspan="2">दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं०</th></tr>
<tr><th>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग</th><th>पिछड़ा वर्ग</th><th>अत्यंत पिछड़ा वर्ग</th><th>अनु० जाति</th><th>अनु० जनजाति</th><th>पिछड़े वर्गों की महिला</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">कार्यालय परिचारी</td><td rowspan="3">लेवल 1</td><td rowspan="3">मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण</td><td>99</td><td>24</td><td>0</td><td>40</td><td>65</td><td>2</td><td>8</td><td>238</td><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">VI -3
DD -2
OH -2
MD/MUD- 3</td></tr>
<tr><td colspan="8">इनमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद</td></tr>
<tr><td>33</td><td>7</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td>1</td><td>—</td><td>71</td></tr>
</table>

नोट–I. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गई है– VI–दृष्टि दिव्यांग, DD–मूक बधिर दिव्यांग, OH–चलन दिव्यांग, MD/MUD–मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग।

II. उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है, जो घट–बढ़ सकती है।

2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:–

ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3. आरक्षण:–

(i) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण (कोटि) का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०–70, दिनांक–11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण–पत्र का नम्बर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

(iii) ऑनलाईन आवेदन–पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन/पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

(iv) **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति–** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के समय जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि सहित ऑनलाईन आवेदन से संबंधित प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) **पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग–** पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये अपने स्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा। ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि सहित ऑनलाईन आवेदन में अंकित क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र को काउंसिलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एक वर्ष से अधिक पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0–15440, दिनांक–05.12.2017 के आलोक में विहित प्रपत्र–xviii B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा।

काउंसिलिंग के समय उक्त प्रमाण–पत्र/स्वघोषणा समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–16144, दिनांक–28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है। अतः ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा।

(viii) **दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए–**

A. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के प्रावधान के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण देय है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–34(2) के आलोक में, जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में संदर्भित दिव्यांगजन की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य

पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी, ऐसी रिक्ति गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में अग्रणित होगी।

B. दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–13062, दिनांक–12.10.2017 में संलग्न विहित प्रपत्र (अनुबन्ध–1) में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

C. बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persongs with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र–VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ix) **स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए–** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2526, दिनांक 18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय है। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11687, दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।**

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–2342, दिनांक–15.02.2016 के अनुसार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि के महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पदवार एवं कोटिवार संख्या तालिका में अंकित है।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देय है। तदालोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–1 (प्रपत्र–1) में, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित

कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

(xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–12722, दिनांक–12.09.2014 के आलोक में किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेंडर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग हेतु मिलने वाले आरक्षण का लाभ देय होगा।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन समर्पित करते समय जो विवरण अंकित किया जायेगा, उसी विवरण के अनुरूप ही काउंसिलिंग में मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी वांछित प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक ही निर्गत होने चाहिए।

4. उम्र सीमा–

अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक–01.08.2022 के आधार पर की जायेगी।
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–294, दिनांक–07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी।

(i) न्यूनतम आयु सीमा – 18 (अठारह) वर्ष।

(ii) अधिकतम आयु सीमा–

A. अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	– 37 (सैंतीस) वर्ष।
B. अनारक्षित वर्ग (महिला)	– 40 (चालीस) वर्ष।
C. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष/महिला)	– 40 (चालीस) वर्ष।
D. अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (पुरूष/महिला)	– 42 (बयालीस) वर्ष।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) के पत्रांक–2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन भरने की तिथि को 53 (तिरपन) वर्ष से अधिक नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोटिवार अधिकतम आयुसीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(v) उपर्युक्त कंडिका– (i) से (iv) में अंकित प्रावधानों के अलावे विश्व बैंक पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित कर्मियों हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–1412, दिनांक–27.05.2013 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में पूर्व संपादित संतोषजनक सेवा अवधि के समतुल्य छूट अनुमान्य होगा। उक्त उम्र सीमा में छूट हेतु कार्यरत कर्मियों के अंतिम पदस्थापन संस्थान के प्राचार्य से विहित प्रपत्र (विभाग द्वारा निर्धारित) में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निदेशक, विज्ञान एवं

प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होगा। संस्थानों के अलावे अन्य पदस्थापना में कार्यरत रहे कर्मियों को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

नोट– **1.** उदाहरणार्थ–यदि विश्व बैंक पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित किसी कर्मी द्वारा 3 (तीन) वर्ष कार्य किया गया है एवं इस संदर्भ में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुभव प्रमाण–पत्र निर्गत है, साथ ही अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का एवं दिव्यांग हो, तो अनुसूचित जाति की कोटि के आधार पर उम्र सीमा 42 वर्ष एवं दिव्यांगता के आधार अतिरिक्त 10 वर्ष तथा उक्त अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर अतिरिक्त 3 वर्ष अर्थात् 55 (42+10+3) वर्ष तक की उम्र सीमा तक आवेदन कर सकेगा।

2. इस विज्ञापन के तहत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु प्रावधानित उपर्युक्त कंडिका–(v) के अनुसार उम्र सीमा में छूट का प्रावधान केवल विश्व बैंक पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजनांतर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत रहे कर्मियों के लिये ही लागू होगा।

5. चयन प्रक्रिया–

(i) अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण–पत्र में प्राप्त अंकों के **प्रतिशत** के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(ii) विश्व बैंक पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित कर्मियों हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–1412, दिनांक–27.05.2013 के अनुसार पूर्व संपादित संतोषप्रद सेवा के लिये छः माह से उपर की कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रत्येक वर्ष हेतु 01 (एक) प्रतिशत (अधिकतम 05 प्रतिशत) की अधिमानता अनुमान्य होगी। उक्त अधिमानता का दावा हेतु इस विज्ञापन की कंडिका–4 (V) के अनुरूप निर्गत प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा।

नोट– **1.** उदाहरणार्थ–यदि विश्व बैंक पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मी के रूप में नियोजित किसी कर्मी द्वारा 3 (तीन) वर्ष कार्य किया गया है एवं इस संदर्भ में यथानिर्धारित अनुभव प्रमाण–पत्र निर्गत है, साथ ही उक्त अभ्यर्थी का मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष में प्राप्तांक 60 प्रतिशत है, तो उक्त अभ्यर्थी का 60 प्रतिशत प्राप्तांक एवं 03 प्रतिशत कार्य अनुभव की अधिमानता अर्थात् कुल–63 प्रतिशत प्राप्तांक मानते हुए मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा।

2. इस विज्ञापन के तहत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु प्रावधानित उपर्युक्त कंडिका–(ii) के अनुसार अधिमानता का प्रावधान केवल विश्व बैंक पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजनांतर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मी के रूप में कार्यरत रहे कर्मियों के लिये ही लागू होगा।

(iii) **कोटिवार रिक्त पदों के अधिकतम 3 (तीन) गुणा अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में बुलाया जायेगा एवं काउंसिलिंग के उपरांत योग्य अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष प्रमाण**

पत्रों की जाँच संबंधित बोर्ड से कराई जायेगी। तदोपरांत अंतिम मेधा सूची पैनल तैयार किया जायेगा एवं तद्नुसार नियुक्ति की जा सकेगी।

6. ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश–

(i) वेबसाईट– **https://dst.bihar.gov.in** पर उपलब्ध लिंक **Click here to apply online** द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन करने हेतु उपर्युक्त वेबसाईट का लिंक विभागीय वेबसाईट - **https://state.bihar.gov.in/dst** पर भी उपलब्ध है। उपर्युक्त ऑनलाईन उपलब्ध लिंक के अलावे किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन भरने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु तकनीकी हेल्पलाईन ई–मेल आई0 डी0– **dstonline@bihar.gov.in** पर ई–मेल किया जा सकता है।

(ii) आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम Register किया जायेगा। Registration के उपरांत एक User ID उपलब्ध कराया जायेगा। User ID अभ्यर्थियों द्वारा अंकित किये गये मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आई0 डी0 पर स्वतः प्राप्त हो जायेगा। तदोपरांत Login करने हेतु अभ्यर्थी स्वयं अपनी सुविधानुसार Password बनायेंगे। प्राप्त User ID एवं बनाये गए Password द्वारा Login कर आवेदन भरा जायेगा। आवेदन भरने हेतु दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए, विभाग जिम्मेवार नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट– ***Register करने के क्रम में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, ई–मेल आई0 डी0, मोबाईल नं0, आधार नं0 भरने के क्रम में आश्वस्त हो लेंगे, तभी Register करेंगे। Register करने के उपरांत उक्त विवरण में सुधार संभव नहीं हो सकेगा।***

(iii) अभ्यर्थी का नाम/माता का नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि, मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण–पत्र/अंक पत्र में अंकित विवरण के अनुसार होना चाहिए।

नोट– ***Name As Per Aadhar एवं Year of Birth As Per Aadhar वाले बॉक्स में अभ्यर्थी द्वारा वही विवरण अंकित किया जायेगा जो उनके आधार कार्ड में अंकित है। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण–पत्र और आधार कार्ड में नाम अथवा जन्म तिथि में त्रुटि/अंतर रहने के कारण उनकी उम्मीदवारी प्रभावित नहीं होगी। मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण–पत्र में अंकित विवरण के आधार पर ही चयन संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।***

(iv) सभी अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरांत ही अपनी जाति कोटि (Category) की प्रविष्टि अंकित करेंगे। बिहार राज्य से बाहर के निवास वाले अभ्यर्थी अनारक्षित (Unreserved-UR) कोटि में आवेदन करेंगे।

(v) **फोटोग्राफ–** आवेदन भरने के समय अभ्यर्थी अपना साफ एवं उच्च गुणवत्ता का अद्यतन रंगीन फोटाग्राफ अपलोड करेंगे, जिसमें पूरा चेहरा तथा आँखें खुली दिखनी चाहिए। उक्त फोटोग्राफ 50 KB से कम, 200 X 230 pixel में, .jpg या .jpeg Format में होना चाहिए।

हस्ताक्षर– आवेदन भरने के समय अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान पर ही हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे। उक्त हस्ताक्षर 20 KB से कम, 140 X 60 pixel में, .jpg या .jpeg Format में होना चाहिए।

नोट– अभ्यर्थी अपने फोटोग्राफ की पाँच–छः अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या विभाग द्वारा माँगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(vi) **शैक्षणिक योग्यता**– यदि किसी अभ्यर्थी के अंक–पत्र में CGPA/GPA/SGPA Score अंकित हो तो अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित बोर्ड के नियमन के अनुसार कुल अंक एवं प्राप्तांक में परिवर्तित करने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन में अंकित करना सुनिश्चित किया जायेगा। गलत प्रविष्टि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इस संबंध में की गई किसी भी प्रकार की त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि के सुधार हेतु प्राप्त पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vii) वैध एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई0 डी0 दर्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि भविष्य में संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जायेगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाईल नम्बर और/या ई–मेल आई0 डी0 दर्ज करते हैं, तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे, जिसके लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

(viii) अभ्यर्थी आवेदन–पत्र को Finalize करने के पूर्व Login Page पर अंकित Print Application पर Click कर Draft Application Preview देखकर संतुष्ट हो लेंगे एवं कोई सुधार आवश्यक हो तो संबंधित Option का उपयोग कर आवश्यक सुधार करने के उपरांत ही आवेदन–पत्र को Finalize करेंगे। बिना Finalize किया हुआ आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ix) आवेदन–पत्र को Finalize करने के उपरांत अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र (फोटो सहित) की Print (मुद्रित) प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं उक्त प्रति पर अंकित Application ID भी सुरक्षित रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में Application ID एवं आवेदन–पत्र की डुप्लीकेट/द्वितीयक प्रति विभाग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किया जायेगा।

नोट– आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन–पत्र को Print (मुद्रित) किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र की Print (मुद्रित) प्रति को विभाग में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(x) अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाईन आवेदन करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उपलब्ध हैं। योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किया है।

(xi) एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन–पत्र एक ही नाम/पता या नाम/पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

(xii) वैसे अभ्यर्थी इस विज्ञापन के तहत चयन के पात्र नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य सेवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो।

(xiii) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों/वैध कागजातों के आधार पर विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(xiv) किसी अभ्यर्थी के काउंसिलिंग में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा। अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल में काउंसिलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। काउंसिलिंग के समय प्रमाण–पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(xv) नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का अनुचित कार्य करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने पर संबंधित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

(xvi) इस विज्ञापन से संबंधित सूचनाएँ विभाग के बेवसाईट- **https://state.bihar.gov.in/dst** पर प्रकाशित की जाएंगी। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

नोट– उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन–पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, मेधा सूची पैनल के निर्माण एवं नियुक्ति आदि के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी/मान्य होगा तथा इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जायेगा।

अंतिम तिथि–

ऑनलाईन आवेदन, अंतिम तिथि–31.10.2022 को समय–11:59 बजे अप0 (रात्रि) तक ही किया जा सकेगा। ऑनलाईन के अलावे अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं उनपर कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा।

22/9/2022

(वैभव चौधरी)
निदेशक